प्रेस नोट- थाना सेहरामऊ दक्षिणी
शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 23.04.2026

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में देशी ढाबा के समीप वाहनों से स्टंटबाजी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए स्टंटबाजी में प्रयुक्त वाहनों को सीज किया गया तथा तीन व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री सौरभ दीक्षित द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी (सदर) के निर्देशन तथा थाना प्रभारी सेहरामऊ दक्षिणी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कंटेन्ट, जिसमें देशी ढाबा के पास वाहनों द्वारा सड़क पर स्टंटबाजी किए जाने का दृश्य प्रसारित हो रहा था, का संज्ञान लेकर तत्काल जाँच कराई गई। जाँच के क्रम में उ0नि0 श्री हरिओम सिंह द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें ज्ञात हुआ कि वाहन संख्या UP25AC0976 (होंडा सिटी) का चालक मुजाहिद अली अफजल पुत्र अल्ताफ अली निवासी मौ0 मानुजई थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर, वाहन संख्या UP27BL4732 (वर्ना कार) का चालक मौनिस अली पुत्र शाबिर अली निवासी मौ0 मदरा खेल निकट चिमलो वाली मस्जिद थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर, वाहन संख्या UP32NX6705 (XUV 700) का चालक आकिल खान पुत्र नामालूम निवासी मौ0 बर्क जई थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर तथा उक्त वाहन में सवार यमन खान पुत्र शरीफ खान निवासी मौ0 जिया खेल थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर एवं इनके अन्य साथी तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी कर रहे थे, जिससे उनके स्वयं के साथ-साथ आम जनमानस के जीवन एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। उक्त कृत्य के संबंध में दिनांक 23.04.2026 को उ0नि0 श्री हरिओम सिंह द्वारा थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर मु0अ0सं0 119/2026 धारा 281 बीएनएस बनाम उपरोक्त नामित अभियुक्तगण एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 श्री मोहित कुमार द्वारा संपादित की जा रही है तथा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्तगणों को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

कृत कार्यवाही का विवरणः-

VERNA कार सं0 UP27BL4732 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

निरोधात्मक कार्यवाही (धारा 170 बीएनएसएस के तहत चालान)

1. होंडा सिटी कार UP25AC0976 चालक मुजाहिद अली अफजल पुत्र अल्ताफ अली नि0मौ0 मानुजई थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. VERNA कार सं0 UP27BL4732 चालक मौनिस अली पुत्र शाबिर अली नि0 मो0 मदरा खेल निकट चिमलो वाली मस्जिद थाना सदर जनपद शाहजहाँपुर।
3. यमन खान पुत्र शरीफ खान नि0 मौ0 जिया खेल थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।